<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3022

31 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

सेल की मुआवजा नीति

3022. श्री अभिजित मुखर्जीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सेल और इसकी सहायक इकाइयों में कार्यचालन के दौरान मौत होने की दशा में मुआवजा देने की नीति क्या है;

(ख) गत चार वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कार्यचालन के दौरान हुई मौतों में मुआवजा देने हेतु कितनी राशि (रुपए में) व्यय की गई है; और

(ग) कार्यचालन के दौरान होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) में, रोजगार के कारण और रोजगार के दौरान होने वाली कर्मचारियों की मौत और स्थायी रूप से अंगहीनता के एवज में मुआवजा रोजगार कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अनुसार प्रदान किया जाता है।

सेल में, रोजगार के दौरान और रोजगार में दुर्घटना की वजह से जिन कार्मिकों की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी क्षति (अपंगता) होती है तथा किसी विशिष्ट रोग की दुर्बलता से ग्रस्त चिकित्सकीय रूप में अमान्य कार्मिकों के योग्यता प्राप्त आश्रितों में से एक को अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान के दिशा-निर्देश भी हैं। इसके अतिरिक्त, सेल एक कर्मचारी परिवार लाभ योजना (ईएफबीएस) भी संचालित करता है, जिसमें मृतक कार्मिक के अंतिम आहरित वेतन व डीए के बराबर मासिक भुगतान कार्मिक के आश्रितों को भविष्य निधि और ग्रैच्युटी के बराबर राशि जमा करवाने पर कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तारीख तक किए जाने

का प्रावधान है। रोकी गई राशि योजनागत लाभ पूर्ण हो जाने पर लौटा दी जाती है। ईएफबीएस रोजगार के बदले में प्रदान किया जाता है।

(ख): गत प्रत्येक चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कार्यचालन के दौरान हुई दुर्घटनाओं में मुआवजा देने हेतु निम्नानुसार रकम व्यय की गई है:

वर्ष	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018 (30.11.2018 तक)**
व्यय रकम (रुपये में)	2,55,91,614	73,64,556	42,99,800	81,26,497	5,40,78,720

(ग): सेल और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), दोनों ने दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों के साथ-साथ, शिड्यूल के रख-रखाव का अनुपालन, सुरक्षा प्रबंधन के लिए सुव्यस्थित उचित पहुँच पर जोर देना, सुरक्षा पद्धतियों का दृढ़ अनुपालन, नियमित निरीक्षण, सुरक्षा जागरुकता हेतु अनिवार्य प्रशिक्षण तथा विशेष प्रशिक्षण, सुरक्षा परीक्षण का संचालन करना, निजी सुरक्षा उपकरणों के उपयोग पर जोर देना और कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई आपात योजना का उचित कार्यान्वयन आदि का अनुपालन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना के विश्लेषण के आधार पर अच्छे अभ्यास से सीखने की सहूलियत के उद्देश्य से हाल ही में क्षेत्र विशेष की सुरक्षा संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें सभी प्रमुख इस्पात उत्पादक सम्मिलित हुए।

*****